FORM NO 111

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :– ~~गुरमेल सिंह~~ सुभाष बनाम ~~जलावर सिंह आदि~~ किशनलाल

धारा :– 88 आर.टी.ए. मुकदमा नं0:– ...56... / 2018

	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्सा जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
2018	अभिभाषक वादी द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 26.3.2018 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26.3.18	पत्रावली पेश हुइ अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप अनुपस्थित अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित पत्रावली वास्ते......वास्ते तलबी.. आगामी पेशी दिनांक..................... को पेश हो। (हस्ताक्षर) 2-4-18	सुभाष AJ
-4-18	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] 16-4-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	अर्जुन लाल पूनम मन्जू सोनू
4/8	पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल मिसल है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी	प्रतिवादी सं0 1 ता 4 [illegible]

Scanned by CamScanner

5.6.18 वादी द्वारा प्रा.पत्र 152 CPC पेश करने पर पत्रावली पेश की गई पारित प्रा.पत्र निर्णय व डिक्री 16.4.18 के ख.नं 196/385 (ग) कि.नं 6 के 0.253 है. खसरा 22.200 व कुल रकबा के 1.708 है. के स्थान पर 1.655 है. इन्द्राज करने का निवेदन किया है। वादी अधिवक्ता के प्रा.पत्र को प्रतिवादी पक्ष ने No-objection किया है। अतः प्रा.पत्र अनुसार इन्द्राजी लाल स्याही से की जावे।

12.6.18 पत्रावली पेश की गई। वादी मुबारक नन्द की ओर से पेश 152 CPC प्रार्थना-पत्र No-objection किया गया है। प्रा.पत्र अनुसार संशोधित निर्णय व डिक्री के किया जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ, राजस्थान

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह राजपुरोहित आर. ए. एस.

वाद संख्या : 46 /2018

सुभाष पुत्र किशन लाल उर्फ कृष्णलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं.6, चाइया, 1 सी वाई एम, तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान -वादी

बनाम

1. किशनलाल उर्फ कृष्णलाल पुत्र काशीराम जाति (ब्राह्मण) निवासी चाइयां 1 सी वाई एम तहसील व जिला हनुमानगढ
2. पूनम पुत्री श्री किशनलाल पती रामावतार जाति ब्राह्मण निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू, राजस्थान
3. मंजू पुत्री श्री किशनलाल पत्नी मुकेश जाति ब्राह्मण निवासी गोगामेड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
4. सोनू पुत्री श्री किशनलाल पत्नी महेश जाति ब्राह्मण निवासी गोगामेड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
5. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ -प्रतिवादीगण

-ःनिर्णयः- दिनांकः 16·4·18

उपस्थितः

1. श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता-वादी
2. श्री प्रदीप मोहन भाटी-अधिवक्ता -प्रतिवादीगण

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 3 बी पी एम के प नं. 196/395 (31) कि नं. 4, 5, 6, 7, 14, 17, 24, 25 कुल 1.708 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। इसके अलावा वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता के नाम चक 3 सी वाई एम में भी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वाद पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मतः हक हकूक निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण का आपसी घरेलू बंटवारा के अनुसार वादी को वाद पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज चक 3 बी पी एम के प नं. 196/395 (31) कि नं 4, 5, 6, 7, 14, 17, 24 कुल 1.708 हैक्टेयर भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 जो कि प्रथम पक्षकार की बहनें हैं, जिन्होंने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर रखा है जिसके पश्चात वादी की बहनों का चक 3 बी पी एम के प नं. 196/395 (31) कि नं 4, 5, 6, 7, 14, 17, 24 कुल 1.708 हैक्टेयर भूमि में किसी प्रकार का हक हकूक शेष नहीं रहा है। वादी का चक 3 बी पी एम के प नं. 196/395 (31) कि नं 4, 5, 6, 7, 14, 17, 24 कुल 1.708 हैक्टेयर भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है व इसी अनुसार प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादी को उक्त रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया

Scanned by CamScanner

जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तामील किया गया जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित अदालत आकर राजीनामा प्रस्तुत किया और राजीनामा के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन जरिये राजीनामा किया। वाद में वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत पूर्व की जमाबंदियां का अवलोकन किया गया जिससे साबित है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का प्रश्नगत रकबा पैतृक कृषि भूमि है। चूंकि वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है जिसके अनुसार राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण का दर्ज चक 3 बी पी एम के प नं. 196/395 (31) कि नं 4, 5, 6, 7, 14, 17, 24 कुल 1.708 [1.655 है.] [0.200] हैक्टेयर भूमि से नाम कलमजन कर वादी को उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। वादी द्वारा 100 रुपए के स्टाम्प तकमीलन वरवक्त डिक्री करवाया जावे व इसी अनुसार वाद डिक्री पृथकतः कायम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.4.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (राज.) हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़, राजस्थान

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह राजपुरोहित आर. ए. एस.

वाद संख्या : 46/2018

सुभाष पुत्र किशन लाल उर्फ कृष्णलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं.6, चाइया, 1 सी वाई एम, तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान -वादी

बनाम

1. किशनलाल उर्फ कृष्णलाल पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी चाइयां 1 सी वाई एम तहसील व जिला हनुमानगढ
2. पूनम पुत्री श्री किशनलाल पत्नी रामावतार जाति ब्राह्मण निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू, राजस्थान
3. मंजू पुत्री श्री किशनलाल पत्नी मुकेश जाति ब्राह्मण निवासी गोगामेड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
4. सोनू पुत्री श्री किशनलाल पत्नी महेश जाति ब्राह्मण निवासी गोगामेड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
5. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ -प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर. ए. एस. के समक्ष अभिभाषक वादी-श्री अनिल कुमार शर्मा की उपस्थिति में निर्णिणार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण चक 3 बी पी एम के प नं. 196/395 (31) कि नं 4, 5, 6, 7, 14, 17, 24 कुल 1.708 हैक्टेयर भूमि से नाम कलमजन कर वादी को चक 3 बी पी एम के प नं. 196/395 (31) कि नं 4, 5, 6, 7, 14, 17, 24 कुल 1.708 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

आज दिनांक 16.4.18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षरों एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner